

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 72
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1015
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- सुनील कुमार
पिता/पति का नाम :- आ. श्री बैरसन सिंह
आवेदक का पता :- वार्ड कं. 56 (भाटापारा) बघेरा दुर्ग
छ0ग0 491001
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 124
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1034
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- कु0 राधिका बंसोड
पिता/पति का नाम :- आ. श्री मेघनाथ बंसोड
आवेदक का पता :- कंकाली पारा, कंकाली मंदिर के पास,
धोबी गली रायपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 135
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1039
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- बबीता उरांव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री नानदाउ उरांव
आवेदक का पता :- टीवी टॉवर रोड पं. दिनदयाल कालोनी
के पास रायगढ़ छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 140
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1041
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- योगेश कुमार
पिता/पति का नाम :- आ. श्री रघुराज सिंह
आवेदक का पता :- रघु फोटो कापी, तहसील के सामने
जगदल्ला चांपा, जिला जांजगीर चांपा
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, झईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 159
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1048
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- सविता भंडारी
पिता/पति का नाम :- आ. श्री सुपाल सिंह भंडारी
आवेदक का पता :- ई.डब्ल्यू.एस.-110 के सामने पदमनाभपुर दुर्ग, छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, झईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 177
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1056
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- कु0 श्रीष्मा ओहदार
पिता/पति का नाम :- आ. श्री वासुदेव राम ओहदार
आवेदक का पता :- विद्युत उपकेन्द्र के पास, रायगढ़ रोड
जशपुर नगर, जिला जशपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 181
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1058
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- सावित्री ठाकुर
पिता/पति का नाम :- आ. श्री अमर सिंह ठाकुर
आवेदक का पता :- ग्राम पचेड़ा, पोस्ट घोटिया, तहसील
डौण्डी, जिला बालोद छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—


(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 193
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1064
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- नीता तिकी
पिता/पति का नाम :- आ. श्री नोबेल मिंज
आवेदक का पता :- नीता तिकी ध्व विरेन्द्र तिकी वायरलेस
पुलिस लाईन जशपुर नगर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जायेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जायेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जायेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जायेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 204
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1071
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- सीता राम
पिता/पति का नाम :- आ. श्री जीतराम भगत
आवेदक का पता :- ग्राम बालाछापर पोस्ट इचकेला, तहसील जशपुर जिला जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 230
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1082
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- चंदन
पिता/पति का नाम :- आ. श्री केशव दीवान
आवेदक का पता :- म.नं. 678, वार्ड 26, विधानसभा रोड,
बजरंग पारा सड्डू रायपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 340
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1130
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- उत्तरी ध्रुव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री सालिक राम ध्रुव
आवेदक का पता :- ग्राम व पोस्ट सेजबहार, व्हाया माना
कैम्प, थाना सेजबहार, रायपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 361
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1137
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- शीतल
पिता/पति का नाम :- आ. श्री विजय कुमार साहू
आवेदक का पता :- ग्राम व पोस्ट बारगांव, तहसील बेरला,
जिला बेमेतरा, छ0ग0 491332
वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 376
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1146
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- राम कुमार मोदी
पिता/पति का नाम :- आ. श्री देवप्रसाद राम मोदी
आवेदक का पता :- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, जशपुर छ0ग0 496331
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जायेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जायेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जायेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जायेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—


(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 396
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1158
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- शांता भगत
पिता/पति का नाम :- आ. श्री जगदीश भगत
आवेदक का पता :- शांता भगत ब्व श्री भवंर साय पैकरा,
नया जगतपुर डिमरापुर रायगढ़ छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-

परीक्षार्थी का रोल नंबर :-

आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन

अभ्यर्थी का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

आवेदक का पता :-

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।

वर्ग :-

(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)

परीक्षा तिथि :- 26/11/2017

समय :- प्रातः 10.00 बजे से


परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001



(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, झईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 409
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1160
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- कु0 बिन्दा खड़िया
पिता/पति का नाम :- आ. श्री करम सिंह
आवेदक का पता :- मकान नं. 103 टारपाली, (डिपापारा) पो.
आ. बोईरदादर, रायगढ़ छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, झईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—


(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 443
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1170
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- अभिषेक सिंह
पिता/पति का नाम :- आ. श्री अशोक सिंह
आवेदक का पता :- ग्राम उच्च भट्टी, पोस्ट सेलर, ब्याया रतनपुर, जिला व तहसील बिलासपुर
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 506
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1196
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- देवेन्द्र कुमार राठौर
पिता/पति का नाम :- आ. श्री विनय कुमार राठौर
आवेदक का पता :- पुराना कलेक्टोरेट के पीछे वार्ड नं. 17
जांजगीर पिन कोड 495668
वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 536
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1205
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- रूद्र नाथ
पिता/पति का नाम :- भोला नाथ
आवेदक का पता :- 34/3 ई रिसाली सेक्टर भिलाई नगर
दुर्ग छ0ग0 490006
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—


(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 543
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1208
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- अक्षिता यादव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री सुदेश यादव
आवेदक का पता :- अक्षिता यादव पिता सुदेश यादव, कृषि
उपज मंडी समिति भाटापारा जिला
वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 562
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1216
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- अजीत सिंह कंवर
पिता/पति का नाम :- आ. स्व० श्री समार सिंह कंवर
आवेदक का पता :- ग्राम विजय नगर, (खुशरूडीह) वार्ड 04
पो.आ. गोवरा प्रोजेक्ट जिला कोरबा
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 569
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1221
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- तुलसी
पिता/पति का नाम :- आ. श्री तालन सिंह
आवेदक का पता :- ग्राम भदरापारा (सराईडीह) पो.
तिलकेजा जिला कोरबा छ0ग0 495674
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—


(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 588
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1229
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- विद्यानंद भोय
पिता/पति का नाम :- आ. श्री भगवानो भोय
आवेदक का पता :- मु. व पो. तेतला, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ छ0ग0 496100
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	602	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।</div>
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	1238	
आवेदित पद का नाम :-	सहायक ग्रेड-तीन	
अभ्यर्थी का नाम :-	श्रीमति आदि कुमारी ध्रुव	
पिता/पति का नाम :-	पति श्री भारत भूषण ध्रुव	
आवेदक का पता :-	ग्राम पलारी, बघेल कालोनी पो.आ. पलारी, थाना पलारी, जिला	
वर्ग :-	अ.ज.जा.	
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)		
परीक्षा तिथि :-	26/11/2017	
समय :-	प्रातः 10.00 बजे से	
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) —496001	



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जायेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जायेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जायेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जायेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 609
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1241
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- कमलेश कुमार यादव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री मदन लाल यादव
आवेदक का पता :- रामनगर शीतला पारा नेहरू चौक,
मनीराम किराना स्टोर के पास, रायपुर
वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 631
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1248
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- अनुसुइया ध्रुव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री अमृत लाल ध्रुव
आवेदक का पता :- ग्राम व पोस्ट सिलतरा थाना व तहसील पथरिया, जिला मुंगेली छ0ग0 495335
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 634
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1249
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- श्रीमति नंद कुमारी सिदार
पिता/पति का नाम :- पति श्री रूप नारायण सिदार
आवेदक का पता :- ब्द्व रूपनारायण सिदार, ध्व नन्दकुमारी
सिदार ग्राम व पोस्ट कांटा हरदी,
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 641
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1252
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- श्रीमती ईश्वरी जायसवाल
पिता/पति का नाम :- पति श्री नवीन कुमार जायसवाल
आवेदक का पता :- क्वार्टर नं. जी-4 सिंचाई कालोनी,
सक्ती जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 662
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1264
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- प्रियंका धुव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री हीरामन धुव
आवेदक का पता :- मिश्रा भवन, जल गृह मार्ग, शहीद भगत सिंह चौक टिकरापारा रायपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 663
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1265
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- सुषमा भगत
पिता/पति का नाम :- पति श्री ललित राम भगत
आवेदक का पता :- क्वा. नं. एन एफ- 01 पोलिटेक्नीक
कालोनी चक्रधर नगर रायगढ़ छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 665
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1266
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- रामकुमार आलेन्द्र
पिता/पति का नाम :- आ. श्री मंगल सिंह आलेन्द्र
आवेदक का पता :- ग्राम गैजी, पो. सहगांव तहसील डौण्डी
लोहारा, जिला बालोद छ0ग0 491771
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 683
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1272
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- सिलीप कुमार पैकरा
पिता/पति का नाम :- आ. श्री अनंत राम पैकरा
आवेदक का पता :- ग्राम गमेकेला, पोस्ट बीरसिधा, थाना
लैलूंगा, जिला रायगढ़ छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 696
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1279
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- रविन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम :- आ. श्री इतवारी राम
आवेदक का पता :- ग्राम व पोस्ट सरगी, तहसील मगरलोड,
जिला धमतरी छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 697
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1280
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- कमलेश सिंह सिदार
पिता/पति का नाम :- आ. श्री रामस्वरूप सिदार
आवेदक का पता :- गली नं. 03, बंगाली पारा नया
सरकण्डा, बिलासपुर छ0ग0 495001
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 729
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1292
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- जान्हवी कश्यप
पिता/पति का नाम :- आ. श्री डमेश्वर नाथ राम
आवेदक का पता :- खजांची टोली, जेल के पीछे जिला
जशपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 760
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1302
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- अर्चना गावड़े
पिता/पति का नाम :- आ. श्री मोती राम
आवेदक का पता :- शहीद चौक, केम्प नं. 01 दल्ली
राजहरा जिला बालोद छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 771
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1305
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- अरुण कुमार बघेल
पिता/पति का नाम :- आ. श्री विजय कुमार बघेल
आवेदक का पता :- नगर पंचायत कुसमी, वार्ड कं. 11
तहसील कुसमी सामरी, जिला
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 834
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1330
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- नंदलाल
पिता/पति का नाम :- आ. श्री शीतल सिंह
आवेदक का पता :- मु. ठरकपुर, पो. पटियापाली, तहसील करतला, व्हाया, चांपा जिला कोरबा
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 846
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1337
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- विनित सिदार
पिता/पति का नाम :- आ. श्री सुखीराम सिदार
आवेदक का पता :- वार्ड नं. 14, भुज बंधान तालाब के नीचे
म.क. 158/1 बजरंग पारा रायगढ़
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 919
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1357
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- सरिता धुव
पिता/पति का नाम :- पति श्री कमलेश कुमार धुव
आवेदक का पता :- म.नं. 51/1405, प्रोफेसर कालोनी,
सेक्टर 3 गली नं. 01, रायपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगायें काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 920
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 1358
आवेदित पद का नाम :- सहायक ग्रेड-तीन
अभ्यर्थी का नाम :- भुवनेश्वर प्रसाद
पिता/पति का नाम :- आ. श्री संतोष कुमार
आवेदक का पता :- चंद्रशेखर आजाद नगर, देवरी खुर्द
बिलासपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- 26/11/2017
समय :- प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :- शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।